-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 15.06.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना गिरवां पुलिस द्वारा मामूली विवाद में व्यक्ति को लाठी-डंडे से मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.06.2026 को थाना गिरवां पुलिस द्वारा मामूली विवाद में व्यक्ति को लाठी-डंडे से मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि 09.06.2026 को थाना गिरवां क्षेत्र के ग्राम शिवहद के रहने वाले राकेश कुमार को खुरहण्ड के रहने वाले इन्दू उर्फ इन्द्रजीत ने मामूली विवाद में लाठी-डंडे से मारकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया था जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गिरवां में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 15.06.2026 को थाना गिरवां पुलिस द्वारा अभियुक्त को खुरहंड रोड शिवहद से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. इन्दू उर्फ इन्द्रजीत पुत्र सूरज मोहन निवासी खुरहण्ड थाना गिरवां जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 194/26 धारा 109/352/351(3) बीएनएस थाना गिरवां जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री गौरव मिश्रा
2. रि0कां0 गौरव यादव
3. रि0का0 दशरथ